अध्याय – VII जिला विशेष निष्कर्ष

7.1 अस्तित्वविहीन डाकघर खातों के माध्यम से मजदूरी का फर्जी भुगतान

जिला परिषद् द्वारा क्रियान्वित योजना संख्या 491/07–08 में 51 मजदूरो को एडवाइस के माध्यम से कुल ₹ 28,946/- रूपये का भुगतान जो लोकही डाकघर में भेजा गया था, दिखाया गया था। परन्तु जांच में यह पाया गया कि डाकघर द्वारा इन खातों का संचालन नहीं हो रहा था। पुनः मुख्य डाकघर के डाकपाल ने स्वीकार किया कि कथित खाता लौकही डाकघर में नहीं था बल्कि खजौली डाकघर (अन्य प्रखण्ड मुख्यालय) द्वारा संचालित था। अतः क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा अस्तित्वविहीन खातों के नाम पर नकली एडवाइस बना कर राशि को अनियमित तरीके से आहरित किया गया। जब अंकेक्षण के दौरान इस विषय को उठाया गया तो अभिकर्ताओं द्वारा ₹ 19,270/- मनरेगा खातों में जमा कर दिया गया और शेष ₹ 9676/- अभी तक वापस नहीं किया गया था।

7.2 मजदूरों को मजदूरी का अधिक भुगतान

औरंगाबाद में मजदूरों को मस्टर रौल के अनुरूप मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया था। नौ कार्यों में कुल ₹ 30,616/- का अधिक मजदूरी भुगतान किया गया था। बैंक एडवाइस के अनुसार भुगतान की गई मजदूरी राशि मस्टर रॉल पर दर्शायी गई राशि से अधिक थी। (**परिशिष्ट -LII**)

7.3 संदेहास्पद व्यय

दरभंगा के दो प्रखंडों (बिरौल व बहेरी) में पंचायत समिति द्वारा किये गए कार्यों से संबंधित 14 योजना संचिकाओं को अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इन कार्यों में व्यय की गई कुल ₹ 33.60 लाख की राशि को सत्यापित नहीं किया जा सका।

कार्यक्रम पदाधिकारी, बिरौल द्वारा उत्तर दिया गया कि वे संचिकाएं मस्टर रौल व वाउचर सहित खो गयी हैं। भच्छी (ग्राम पंचायत) के पं0रो0से0 इन संचिकाओं के साथ उपस्थित नहीं हुए तथा उतर दिया कि तत्कालीन पं0रो0से0 द्वारा उन्हें ये संचिकाएं नहीं सौंपी गयी थीं। मामले की जांच किए जाने की आवश्यकता थी। (**परिशिष्ट -LIII**)

7.4 मजदूरी के एक भाग को अनअभिज्ञात चार्ज के नाम पर पोस्ट मास्टर द्वारा रखे रहना

जॉब कार्ड के जांच पड़ताल एवं लासोवैया ग्राम पंचायत (पं0स0 मंझौलिया), जिला पश्चिम चंपारण के लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि मजदूरी की कुल राशि को एडवाइस के अनुरूप डाकघर द्वारा जमा किया गया था लेकिन मजदूरों द्वारा मजदूरी के आहरण के समय डाकपाल द्वारा अवैध रूप से मजदूरी का एक भाग मझौलिया चार्ज के नाम पर रख लिया गया। गांव के श्री निरंजन साह (जॉब कार्ड सं0 2244) व श्री सैयद नट (जॉब कार्ड सं. 2221) एवं श्री पंडित चौबे (जॉब कार्ड सं. 2238) ने कार्यक्रम पदाधिकारी की उपस्थिति में अंकेक्षण को इसके बारे में सूचित किया तथा पोस्टमास्टर ने इन आरोपों को स्वीकार किया।

7.5 मृदा कार्य के पुनर्माप के लिए संदेहास्पद अनियमित भुगतान

नालन्दा में योजना संचिकाओं की संवीक्षा से यह उद्घाटित हुआ कि 3 प्रखंडों[22] में 28 मृदा कार्य निष्पादित हुए तथा निर्माण कार्यों के मापी के उपरांत कार्यकारी एजेंसी को भुगतान किया गया (अप्रैल से जुन 2007) तथापि, माप की तिथि से एक वर्ष बीत जाने के उपरांत तथा लगभग दो वर्षा ऋतुओं के गुजर जाने के बाद जिला के डी0पी0सी0 के आदेश (04.12.07) के तहत कार्यों की पुनर्माप के लिए बिना किसी कारण का उल्लेख किये मापी की गयी। कार्य का मूल्य घटने के स्थान पर पुनर्माप के उपरांत कार्य के मुल्य में बढ़ोत्तरी हुइ जो संभव नहीं है क्योंकि प्रथम माप के उपरांत कोई परिवर्धन का कार्य नहीं किया गया तथा सामान्यतः वर्षा ऋतु के उपरांत किए गए मृदा–कार्य में कमी आ जाती है। कार्य के मुल्य में इस वृद्धि के कारण कुल ₹ 22.84 लाख का भुगतान प्रथम एवं द्वितीय माप के अंतर के लिए किया गया। साथ ही, पुनर्माप को उचित सिद्ध ठहराने वाले रिकार्ड को अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि जि0का0स0 ने यह आदेष मनमाने रूप से निर्गत किया था। (**परिशिष्ट -LIV**)

7.6 समुचित प्रकार से माप नहीं किया जाना–

पश्चिम चंपारण में कुल ₹ 33.10 लाख के पांच निर्माण कार्यों[23] में उचित प्रकार से मापी नहीं किया गया। मापी–पुस्तिका में माप को एक पंक्ति में अंकित कर दिया गया था और तालाब मरम्मती कार्य एवं बाँध के निर्माण में विस्तृत मापी नहीं दर्शायी गई थी, प्राक्कलनों को भौगोलिक पद्धति से तैयार किया गया था किन्तु मापी–पुस्तिका में भौगोलिक मापी नहीं दर्शायी गई थी। परिणामस्वरूप, किए गए कार्य की वास्तविक मात्रा मापी–पुस्तिका से सत्यापित नहीं की जा सकती थी।

[22] इस्लामपुर, चण्डी एवं नूरसराय
[23] तलाब जीर्णोद्धार के चार कार्य (1, 2, 3 एवं 4/10–11) तथा बांध निमार्ण का एक कार्य (40/07–08)